



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122021-231718
CG-DL-E-08122021-231718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4721]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943

No. 4721]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5095(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा एयर कंडीशनर और इसके सम्बद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोलस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) एयर कंडीशनर और इसके सम्बद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोलस (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. एयर कंडीशनर और इसके सम्बद्ध पुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और टेंपरेचर सेंसिंग कंट्रोलस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 में, पैरा 1 के उप-पैरा (2) में "01.01.2022" अंकों को "01 जनवरी 2023" शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित होगा।

[फा. सं. पी-29014/63/2017-एलईआई]

अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

नोट: प्रमुख आदेश का.आ. 4354(अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2019 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत प्रकाशित हुआ था और इसके पश्चात अधिसूचना संख्या सां.आ. 1518 (अ) दिनांक 18 मई, 2020 और सां.आ. 4671 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5095(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Order, 2019, in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the figures “01.01.2022”, the following words and figures “the 1st January, 2023” shall be substituted.

[F. No. P-29014/63/2017-LEI]

ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4354(E), dated the 5th December, 2019 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1518(E), dated the 18th May, 2020 and S.O. 4671(E), dated the 22nd December, 2020.